न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 10/2025

जीसीएमएस नं. 2025/42

प्रार्थी/निगरानीकारः–

मदन सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भाचरणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकारः–

1. स्व. छगनलाल पुत्र श्री लादूराम के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती सायर देवी पत्नी स्व. छगनलाल
   1/2 कानाराम पुत्र स्व. श्री छगनलाल
   1/3 सुमेरमल पुत्र स्व. श्री छगनलाल
   जातियान दर्जी, निवासीगण राईकों का बास, बालोतरा रोड, समदडी, जिला बाडमेर।
   1/4 श्रीमती विमला पुत्री स्व. श्री छगनलाल पत्नी राजूराम जाति दर्जी निवासी भलरों का बास, तहसील समदडी, जिला बाडमेर।
2. ग्राम पंचायत रोहिचा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच/सचिव।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 01/78–79, संकल्प सं. 2 के द्वारा ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा दिनांक 28.01.1979 को आबादी भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी (अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/4 तक की ओर से)

पंचायत निगरानी सं. 11/2025

जीसीएमएस नं. 2025/43

प्रार्थी/निगरानीकारः–

1. छगनलाल पुत्र श्री लादूराम के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती सायर देवी पत्नी स्व. छगनलाल
   1/2 कानाराम पुत्र स्व. श्री छगनलाल

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1/3 सुमेरमल पुत्र स्व. श्री छगनलाल
जातियान दर्जी, निवासीगण राईकों का बारा, बालोतरा रोड, रामदडी, जिला बाडमेर।
1/4 श्रीमती विमला पुत्री स्व. श्री छगनलाल पत्नी राजूराम जाति दर्जी निवासी भलरों का बास, तहसील समदडी, जिला बाडमेर।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकार:–

1. दलपत सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह
2. मदन सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह
   जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भाचरणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत जरिये सचिव, ग्राम पंचायत भाचरणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध अप्रार्थी सं. 01 व 02 के पक्ष में पट्टा सं. 07 एवं 11 दिनांक 09.01.2008 को पट्टा विलेख ग्राम पंचायत भाचरणा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति:–

1. अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी (प्रार्थी सं. 1/1 से 1/4 तक की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 29.12.2025**

1. उक्त दोनो निगरानियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पेश की गई है। उक्त दोनो निगरानियां ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा ग्राम भाचरणा की आबादी भूमि में मिसल सं. 01/1978–79 में संकल्प सं. 2 द्वारा जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 को तथा नवगठित ग्राम पंचायत भाचरणा द्वारा जारी पट्टा सं. 07, मिसल सं. 04/2007–08, दिनांक 09.01.2008, पट्टा सं. 11, मिसल सं. 08/2007–08 को अपास्त करने हेतु पेश की गई है तथा तीनों आक्षेपित पट्टों में अंतर्वलित भूमि एक ही है तथा दोहरा पट्टा जारी करने का विवाद है तथा दोनों में पक्षकार एक समान है। विवादित तथ्य एवं विधिक प्रश्न भी समान है। अतः दोनों निगरानियों को एकजाई करके, सुविधा की दृष्टि से तथा भिन्न निर्णय पारित होने की संभावना को नियंत्रित करने की दृष्टि से, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की मूल प्रति, प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।
2. **निगरानी सं. 11/2025 (2025/43)–(छगनलाल के कायम मुकाम बनाम दलपत सिंह वगैरा)**:– यह निगरानी छगनलाल की ओर से राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

धारा 97 के तहत दिनांक 18.09.2017 को इस न्यायालय में पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी छगनलाल के पक्ष में तत्समय क्षेत्राधिकार वाली ग्राम पंचायत रोहिचा कला, पं. स. लूणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 28.01.1979 को एक पट्टा विलेख सं. 23 मिसल सं. 01/78–79 बनाप 700 वर्गगज राजस्थान पंचायत नियम 1961 के तहत नियमानुसार जारी किया गया है, जिस भूमि पर वे मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। उसके पश्चात् ग्राम पंचायत रोहिचा कला से नई ग्राम पंचायत भाचरणा गठित की गई है। नई ग्राम पंचायत भाचरणा ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम, प्रार्थी की पट्टा सुदा जायदाद पर उसी भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत भाचरणा को कोई अधिकार नहीं था। रोजगार के कारण प्रार्थी वर्तमान में ग्राम समदडी जिला बाडमेर (वर्तमान बालोतरा) में निवासरत है। अप्रार्थी 1 व 2 ने, प्रार्थी की पट्टासुदा जायदाद पर तोडफोड व कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस थाना लूणी में मुकदमा सं. 101/2017 दिनांक 16.07.2017 को दर्ज कराया गया तथा बाद अनुसंधान धारा 448, 323 भादस अप्रार्थी 1 व 2 के विरूद्ध पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया है, जिसके बाद अप्रार्थी 1 व 2 ने आक्षेपित पट्टे दिनांक 09.01.2008 को दिखाया गया। उक्त जानकारी के बाद यह निगरानी आक्षेपित पट्टों को निरस्त करने हेतु पेश की जा रही है।

अप्रार्थी 1 के पक्ष में पट्टा सं. 07 मिसल सं. 04/2007–08 दिनांक 09.01.2008 को तथा अप्रार्थी सं. 2 मदन सिंह के पक्ष में पट्टा सं. 11 दिनांक 09.01.2008 को जारी किया गया पट्टा बिना अधिकार के, दिखावटी व फर्जी है। नई ग्राम पंचायत भाचरणा से पूर्व की मूल ग्राम रोहिचा कला द्वारा प्रार्थी निगरानीकार के पक्ष में आक्षेपित पट्टों की भूमि का पट्टा दिनांक 28.01.1979 को जारी किया जा चुका है। उसी भूमि का पुनः पट्टा अन्य के नाम जारी नहीं किया जा सकता, जो गलत होने से निरस्त योग्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(क) के तहत 695 वर्ग गज तथा 706.66 वर्गगज का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत सिर्फ 100 वर्गगज तक की भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है। नियम 261 व 266 के तहत कब्जे के संबंध में कोई जाचं नहीं की गई है तथा न ही जायदाद को स्वामित्व रजिस्टर में दर्ज किया गया है। अगर मौके पर कब्जे व स्वामित्व रजिस्टर की जांच की जाती तो, दोहरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। अप्रार्थी 1 व 2 ने सरपंच से सांठ गांठ करके पट्टे प्राप्त करके सन् 2017 तक चुपचाप क्यों

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बैठे रहे। अतः अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टे दिनांक 09.01.2008 को निरस्त किया जावे।

3. **निगरानी सं. 10/2025 (2025/42)–(मदन सिंह बनाम स्व. छगनलाल के कायम मुकाम):–** उपरोक्त निगरानी सं. 11/2025 (छगनलाल बनाम दलपत सिंह वगैरा) दिनांक 18.09.2017 को पेश होने पर काउंटर ब्लास्ट के रूप में, यह निगरानी सं. 10/2025 छगनलाल के नाम दिंनाक 28.01.1979 को ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा मिसल सं. 01/78–79 में जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 संकल्प सं. 02 को अपास्त करने हेतु मदन सिंह द्वारा दिनांक 12.10.2018 को पेश की गई है, जिनके पक्ष में नई ग्राम पंचायत भाचरणा द्वारा मिसल सं. 4/2007–08 व 08/2007–08 में पट्टा सं. 11, 7 बनाप 706.66 वर्गगज एवं 695 वर्गगज संकल्प सं. 3 दिनांक 05.01.2008 को नियम 157(क) के तहत संकल्प सं. 3 दिनांक 05.01.2008 की पालना में पट्टा जारी किया गया है।

निगरानी मीमों अनुसार प्रार्थी मदन सिंह का कथन है कि उक्त विवरण के पट्टे की भूमि पर उसका रहवासीय मकन, टांका, दीवार बनी हुई है, जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है। विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है, दिनांक 14.06.2017 को स्व. छगनलाल का भाई अमृतलाल व उसके पुत्र रमेश ने भूखण्ड खाली करने को कहा तथा पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया तथा सन् 1978–79 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी फर्जी पट्टे की प्रति उपलब्ध कराई परंतु ग्राम पंचायत ने प्रति उपलब्ध नहीं कराई है। छगनलाल द्वारा फर्जी पट्टा प्राप्त किया गया है तथा ग्राम पंचायत में इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। छगनलाल का परिवार ग्राम भाचरणा में निवास ही नहीं करता था तथा न ही आज निवास करता है, बल्कि बाडमेर जिले में समदडी में रहते है। अतः पट्टा ही गैर कानूनी है। पट्टे में ग्राम का नाम ही नहीं लिखा है। आक्षेपित पट्टा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम 1961 के नियम 266 की पालना किये बिना ही जारी किया गया है, जिसमें कब्जे की जांच ही नहीं गई तथा न ही स्वामित्व रजिस्टर की जांच की गई है। पट्टा दिखावटी व फर्जी है, जबकि प्रार्थी के पक्ष में 1996 के नियम 157(क) के तहत नियमितीकरण के नियम में पट्टा जारी किया गया है। आक्षेपित पट्टा जारी करने से पहले, काबिज व्यक्तियों से बातचीत नहीं की गई है।

आक्षेपित पट्टे की जानकारी होने के बाद नकल उपलब्ध नहीं कराने तथा दिनांक 27.09.2018 को ग्राम सेवक द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी देने के बाद

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पेश की जा रही है। अतः अंदर म्याद मानी जावे तथा आक्षेपित पट्टा अपास्त किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानियों पर एक साथ बहस सुनी गई।

5. निगरानीकर्ता स्वर्गीय छगनलाल के कायम मुकामात् के विद्वान अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि अभिलेख से यह स्वीकार्य तथ्य है कि छगनलाल के पक्ष में दिनांक 28.01.1979 को ग्राम पंचायत रोहिचा कला ने 700 वर्गगज का पट्टा जारी किया है। उसके पश्चात् नई ग्राम पंचायत भाचरणा ने प्रार्थी के पट्टे की उसी भूमि पर नया पट्टा मदन सिंह व दलपत सिंह के नाम से जारी किया गया है, जो गलत है।

उक्तानुसार दोहरा पट्टा जारी होने की जानकारी होने पर यह निगरानी दिनांक 18.09.2017 को पेश की गई है, जिसके बाद दिनांक 12.10.2018 को मदन सिंह ने भी प्रार्थी के पट्टे को निरस्त करवाने हेतु निगरानी पेश की है, जिसमें कथन किया है कि छगनलाल समदडी में रहता है। अतः भाचरणा या रोहिचा कला में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। मूल रिकॉर्ड नहीं होने का भी कथन किया है। सिविल कोर्ट से भी उनके पक्ष में कोई आदेश नहीं है। अतः 50 वर्ष पूर्व में जारी पट्टा यथावत रखा जावे। पहले याची भाचरणा में रहते थे परंतु बाद में व्यवसाय के लिए समदडी गए है, जो ज्यादा दूर नहीं है। पट्टे पर दोहरा पट्टा जारी नहीं हो सकता। मदन सिंह व दलपत सिंह को आक्षेपित पट्टे नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है, जिसमें 50 वर्षो पुराना निर्माण होना बताया है, जो गलत है। इसका कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है।

6. अप्रार्थी दलपत सिंह व मदन सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित ने स्वयं की निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी मदन सिंह व दलपत सिंह ग्राम भाचरणा के ही मूल निवासी है तथा आक्षेपित पट्टे की भूमि पर उनका पुश्तैनी मकान निर्मित है। बिजली कनेक्शन का बिल पेश किया है। इनके भाईयों के नाम से भी पट्टे जारी किये गये है। छगनलाल भाचरणा में रहते ही नहीं थे। वे समदडी (बाडमेर) में रहते है। इनके दस्तावेज भी समदडी के बने हुए है। ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा सन् 1979 में पट्टा जारी होने का कथन गलत है। पट्टो का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः पट्टा अविधिक जारी किया है। भूमि पर कब्जा मदन सिंह का है। जिसकी स्वीकारोक्ति भी छगनलाल के कायम मुकामात ने की है। मदन सिंह के पक्ष में नियम 157(क) के तहत सही पट्टा जारी किया गया है। हमने छगनलाल के पट्टे की भूमि पर कभी कब्जा नहीं किया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कब्जा शुरू से ही मदन सिंह का रहा है। पक्षकारों के बीच सिविल दावे भी हुए है। ग्राम पंचायत भाचरणा द्वारा राही प्रकिया अपनाकर पट्टे जारी किये है। अतः छगनलाल की निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। ग्राम पंचायत ने छगनलाल के नाम से जारी पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है।

अतः मदन सिह द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे तथा छगनलाल की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन कर उस पर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। ग्राम पंचायत व पंचायत समिति लूणी से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

8. (a)निगरानी सं. 10/2025(2025/42) (मदन सिंह बनाम छगनलाल के कायम मुकाम) ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा मिसल सं. 01/78–79 में संकल्प सं. 2 से जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 बहक छगनलाल पुत्र लादुराम जाति दर्जी बनाप 700 वर्गगज को अपास्त करवाने हेतु पेश की है। ग्राम पंचायत रोहिचाकला के पत्रांक 348 दिनांक 08.12.2025 से मूल पट्टा बुक सन् 1964 से 1981 तक तथा मूल मिसल सं. 01/20.08.1978 प्राप्त हुई है।

(b)मिसल सं. 01/20.08.1978 की ऑर्डरशीट अनुसार दिनांक 20.08.1978 को छगनलाल पुत्र लादुराम साकिन भाचरणा के नाम से पुराने कब्जासुद मकान का पट्टा कराने हेतु पिता लादुराम ने आवेदन पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ भूमि का नक्शा भी पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियम 258 के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु तीन पंच नियुक्त किये है। पत्रावली में प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.1978 उपलब्ध है। जिसके साथ विस्तृत नाप का नक्शा भी संलग्न उपलब्ध है, जो जगन्नाथ प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है तथा सरपंच जबर सिंह के उस पर हस्ताक्षर है, जिसमें इन्दर सिंह का पश्चिम में पडौस दर्शाया है। ग्राम भाचरणा की भूमि बताई है।

दिनांक 20.09.1978 को दो पंचों की कमेटी ने ग्राम भाचरणा की नक्शे में वर्णित भूमि पर जायगा में प्रार्थी छगनलाल का पीढियों से कब्जा बताया है तथा आपसी बातचीत से पट्टा जारी किया जावे। नाप 700 वर्गगज बताया है। यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी का हक बदस्तूर है। निलामी द्वारा उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा। रिपोर्ट पर सरपंच जबर सिंह, मांगीलाल जैन व खींयाराम के हस्ताक्षर/अंगूठा है। आदेशिका अनुसार दिनांक 20.09.1978 को उक्त रिपोर्ट पेश होने पर ग्राम पंचायत ने पट्टा देने का अस्थाई निर्णय पारित किया है तथा नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में सार्वजनिक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आपत्तियां आमंत्रित एक माह में पेश करने का निर्णय लिया। आदेशिका दिनांक 20.10.1978 अनुसार सार्वजनिक आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर, पट्टा देने का निर्णय हेतु मिसल 20.11.1978 को पेश करने का निर्णय लिया। दिनांक 20.11.1978 को नियम 266 के तहत नक्शें में दर्ज 700 वर्गगज भूमि की कीमत 35 रूपये (पैंतीस रूपये) वसूल करके, पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया है। उक्त विवरण ऑर्डरशीट में अंकित है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर पेश नहीं किया है।

(c) प्राप्त पट्टा बुक में मिसल सं. 1/78–79 दायरा तारीख 20.08.1978 का पट्टा सं. 23 की प्रति उपलब्ध है। यह पट्टा राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत भूमि का मूल्य 35 रूपये (पैंतीस रूपये मात्र) रसीद सं. 47 दिनांक 28.01.1979 से जमा होना बताकर, दिनांक 28.01.1979 को छगनलाल के नाम 700 वर्गगज का जबर सिंह सरपंच ग्राम पंचायत रोहिचा कला के हस्ताक्षरों से जारी हुआ है तथा संकल्प सं. 2 दिनांक 20.11.1978 की पालना में जारी किया है। पट्टा पर छगनलाल के पिता लादूराम के हस्ताक्षर है। पट्टे के पडौस व नाप इस प्रकार हैः–

पूर्व– 72 फुट भुजा– आम रास्ता
पश्चिम– 68 फुट भुजा–इन्दर सिंह पुत्र बादर सिंह
उत्तर– पडत खालसा–आबादी भूमि– 21 फुट भुजा
दक्षिण– 59 फीट भुजा–सिमरथाराम पटेल
क्षेत्रफल– 700 वर्गगज

(d) ग्राम पंचायत से दिनांक 20.08.1978 से 20.11.1978 तक की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर, उपलब्ध नहीं कराया गया है। पट्टे जारी करने का वैधानिक अधिकार सिर्फ ग्राम पंचायत को ही प्राप्त है। सरपंच व सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्पों की मात्र कियान्विति ही करने में सक्षम है। ग्राम पंचायतों द्वारा पारित संकल्पों का नियमानुसार पंचायत बैठक रजिस्टर में ग्राम सेवक व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अभिलिखित किया जाना आज्ञात्मक है। अतः मात्र मिसल की आदेशिकाओं में सरपंच द्वारा अंकित आदेशों को विधिमान्य नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर भी नहीं है, जो नियमानुसार अपेक्षित है।

(e) इसके अतिरिक्त पत्रावली में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु एक माह की अवधि का नोटिस भी उपलब्ध नहीं है जो एक गंभीर अनियमितता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

9. <u>निगरानी सं. 11/2025 (2025/43)</u>:–

(a)ग्राम पंचायत भाचरणा से प्राप्त मिसल सं. 4/2007–08, पट्टा सं. 07 दिनांक 09.01.2008 की मूल मिसल का अवलोकन किया। इसमें प्रार्थी दलपत सिंह ने दिनांक 05.11.2007 को प्रार्थना पत्र पेश कर 695 वर्गगज की भूमि का 50 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा बताकर पट्टा हेतु निवेदन किया है। साथ में नक्शा भी पेश किया है। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर व मिसल की ऑर्डरशीट दिनांक 05.11.2007 के अनुसार पंचो की कमेटी नियुक्त की गई है। कमेटी ने दिनांक 07.11. 2007 को मौका निरीक्षण किया है, जिसमें प्रार्थी का 50 वर्ष पुराना कब्जासुद मकान बताया है। परंतु इस निरीक्षण रिपोर्ट पर पंचायत सचिव कन्हैयालाल व सरपंच के पृष्ठांकन के हस्ताक्षर नहीं है।

(b)दिनांक 20.11.2007 को प्रपत्र 22 में (नियम 148) सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है तथा दिनांक 20.11.2007 को ही केवल सरपंच द्वारा ही मौका स्थल व ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा किया जाना बताया है।

(c)दिनांक 20.12.2007 को पुराना कब्जा बताकर नियम 157(क) के तहत भूमि विक्रय का निर्णय लिया। दिनांक 05.01.2008 को दो गवाहों के बयान अंकित करना आदेशिका में दर्शाया है। पत्रावली पर पारसमल जैन व पदम सिंह के संयुक्त बयान दर्ज किये है।

(d)दिनांक 05.01.2008 को संकल्प सं. 3 से 100 रूपये की राशि वसूल कर पट्टे जारी करने का निर्णय लिया है एवं दिनांक 09.01.2008 को 695 वर्गगज का पट्टा सं. 7 दलपत सिंह के नाम जारी किया गया है, जिसके पडौस/नाप निम्न प्रकार है:–

पूर्व– छगनलाल व अमरलाल दर्जी व लेरी का मकान–नाप भुजा 100 फुट
पश्चिम– भाई प्रेम सिंह, नाप भुजा 80 फुट
उत्तर– भाई मदन सिंह का मकान–नाप भुजा 92 फुट
दक्षिण– सार्वजनिक चौक–नाप भुजा– 47 फुट
कुल क्षेत्रफल 695 वर्गगज

10. इसी प्रकार पट्टा बुक प्रपत्र 23 अनुसार मिसल सं. 8/2007–08 में पट्टा सं. 11 दिनांक 09.01.2008 को मदन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम से 706.66 वर्गगज का जारी किया गया है, जो संकल्प सं. 03 दिनांक 05.01.2008 की पालना में जारी होना बताया है। यह पट्टा भी प्रारूप 23 में नियम 157(क) के तहत 100 रूपये शुल्क वसूल करके पुराने गृह विनियमितीकरण के रूप में जारी किया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ग्राम भाचरणा से मिसल सं. 8/2007–08 की ऑर्डरशीट अनुसार प्रार्थी मदन सिंह ने दिनांक 05.11.2007 को पट्टा हासिल करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत भाचरणा में पेश किया है, जिसके कॉलम सं. 5 में 50 वर्षों से अधिक का पुराना कब्जा होना दर्शाया है परंतु संलग्न नक्शा पर मदन सिंह के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नही है। इसी प्रकार मौका निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण दिनांक 16.11.2007 में भी प्रार्थी का 50 वर्षों से अधिक का पुराना कब्जा सुदा मकान लिखा है, परंतु रिपोर्ट लिखने वाले सचिव, कन्हैयालाल के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं है तथा भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल भी अंकित नहीं है। दिनांक 20.11.2007 को प्रपत्र 22 में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की पुश्त पर केवल सरपंच द्वारा दिनांक 20.11.2007 मौका स्थल व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का अंकन है। जबकि 1996 के नियम 148(2) के प्रावधानों अनुसार यह नोटिस दो स्थानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा करना आज्ञात्मक है, जिसकी पालना नहीं होने से, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा पट्टा जारी करने बाबत समय पर आपत्तियां पेश नहीं की जा सकती। इसी प्रकार दिनांक 05.01.2008 को दो व्यक्ति पारसमल जैन व पदम सिंह स्वयं का संयुक्त बयान दर्ज किया है। दिनांक 09.01.2008 को पट्टा सं. 11 नाप 706.66 वर्गगज का 100 रूपये की राशि प्राप्त कर 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है, जो स्पष्टतः नियमों के विपरीत है। 706.66 वर्गगज पर 50 वर्षों से अधिक पुराना भवन निर्मित होने का कोई सबूत नहीं है।

पटटा बुक में उपलब्ध पट्टा सं. 11 के अनुसार भूमि के पडौस इस प्रकार हैः–

पूर्व में– केवलराम पटेल–नाप भुजा 60 फीट

पश्चिम में– पोल सिंह–नाप भुजा 60 फीट

उत्तर में– भाचरणा–रोहिचा कला सडक– 120 फीट भुजा

दक्षिण में– भाई दलपत सिंह का मकान– 92 फीट भुजा

11. (a)उक्त दोनों पट्टों की भूमि का कुल क्षेत्रफल 1401.66 वर्गगज होता है। उक्त दोनो पट्टो की पूर्वी भुजा का नाप 160 फीट, पश्चिमी भुजा– 140 फीट, उत्तरी भुजा 120 फीट तथा दक्षिणी भुजा– 47 फीट होती है।

(b)इसके विपरीत छगनलाल के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 28.01.1979 की पूर्वी भुजा 72 फीट, पश्चिमी भुजा 68 फीट, उत्तरी भुजा 21 फीट व दक्षिणी भुजा 59 फीट लंबी है तथा कुल क्षेत्रफल 700 वर्गगज बताया है। अतः आक्षेपित की भूमि का न तो नाप मिलान हो रहा है तथा न ही पडौसों का मिलान हो रहा है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(c) दिनांक 09.01.2008 को जारी दोनों पट्टो में पूर्व में केवलराम पटेल व छगनलाल बताया है, जबकि दिनांक 28.01.1979 के पट्टे में पूर्व में आम रास्ता बताया है।

दिनांक 28.01.1979 के पट्टे में दक्षिण में रिगरथाराम पटेल का प्लॉट बताया है तथा दिनांक 09.01.2008 के पट्टों में दक्षिण में सार्वजनिक चौक तथा पश्चिम में प्रेमसिंह का प्लॉट बताया है, जबकि दिनांक 28.01.1979 के पट्टा में पश्चिम में इन्दरसिंह का मकान बताया है, जो निगरानीकार मदन सिंह व दलपत सिंह के पिता है।

12. (a)उक्त अभिलेखीय तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट होता है कि छगनलाल को जारी पट्टा तथा इन्द्रसिंह एवं दलपत सिंह को जारी पट्टों की भूमि के पडौस व नाप भिन्न–भिन्न है। उक्त तीनों ही पट्टों को जारी करने से पूर्व पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने मौके पर मकान निर्मित बताए है, लेकिन निर्मित भवनों का नाप–तौल का सही विवरण रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है एवं 700 वर्गगज की पूरी भूमि पर पक्का निर्माण होने का कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

(b)ग्राम पंचायत भाचरणा के अंतर्गत आक्षेपित दो पट्टों एवं ग्राम पंचायत रोहिचा कला के अंतर्गत आक्षेपित पट्टे की पत्रावलियां मौजूद है। पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 छगनलाल पुत्र लादूराम के नाम जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टा सं. 24 मिसल सं. 2/78–79 दिनांक 28.01.1979 बनाप 439.25 वर्गगज का छगनलाल के पिता लादूराम पुत्र फुसाराम दर्जी के नाम जारी किया है जो एक ही तारीख में पिता पुत्र के नाम से जारी हुए है तथा छगनलाल के नाम पट्टा जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.1978 पर छगनलाल के हस्ताक्षर ही नहीं है, बल्कि पिता लादुराम के हस्ताक्षर है। छगनलाल की पत्रावली में नक्शे, ऑर्डरशीट व पट्टा पर भी लादुराम के हस्ताक्षर है। छगनलाल ने निगरानी के साथ उसके पक्ष में जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 की प्रति तक पेश नहीं की है तथा न ही दिनांक 28.01.1979 को ग्राम भाचरणा में निवासरत होने का कोई साक्ष्य/सबूत पेश किया है। अप्रार्थी मदन सिंह व दलपत सिंह का कथन है कि छगनलाल समदडी में रहता है, भाचरणा का निवासी नहीं है, इस तथ्य को अप्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते है।

13. (a) दिनांक 09.01.2008 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 157 इस प्रकार था–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

157–<u>पुराने गृहों का विनियमितीकरण</u>–

1. जहां व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्नानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

(क)50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु– 100 रूपये

(ख)50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु– इन नियमों के लागू होने की तारीख से– 200 रूपये

परंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में सम्मिलित परिवार के लिए खण्ड (क) के अंतर्गत कोई राशि देय नहीं होगी तथा खण्ड (ख) के अंतर्गत कुल देय राशि का 10 प्रतिशत देय होगा।

2. Families who do not have any house or house site, anywhere and are in possession of abadi land by way of construction of a hutment/Kachha house upto year 2003, shall be entitled for regularisation of possession maximum upto 300 sq. yards free of cost. The patta of such land shall be issued in the name of woman head of the family. (Added vide notification dated 09-04-2007)

(b)उक्त प्रावधानानुसार नियम 157(1) के तहत सिर्फ पुराने निर्मित भवनों वाली आबादी भूमि का ही 100 रूपये/200 रूपये की राशि वसूल करके नियमन किया जा सकता है। दिनांक 09.04.2007 से उप नियम (2) जोडकर 300 वर्गगज तक के निर्मित भवनों (hutment/Kachha house) का नियमन का पट्टा सिर्फ महिला मुखिया के नाम ही जारी किया जा सकता है। नियम 157(1) में 300 वर्गगज तक के निर्मित गृह के कब्जों का नियमन करने का प्रावधान दिनांक 11.02.2013 से लागू किया गया है। इससे पूर्व यह प्रावधान नहीं था। आक्षेपित पट्टा सं. 7 व 11 दिनांक 09.01.2008 को जारी किये गये है, जो दिनांक 11.02.2013 से पूर्व के है तथा दिनांक 09.01.2008 को प्रवर्तनशील नियमों के प्रावधानों से शासित होंगे। उक्त पट्टों की मिसलों में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि 1996 के नियम लागू होने की तिथि दिनांक 30.12.1996 से 50 वर्षों पूर्व से अधिक अवधि का पुराना निर्मित गृह हो तथा न ही ऐसा कोई सबूत मौजूद है, जिससे यह साबित होता हो कि दिनांक 30.12.1996 से पूर्व के 50 वर्षों के दौरान गृह निर्माण किया गया है तथा प्रार्थीगण उसमें निवास कर रहे है। विद्युत कनेक्शन का जो बिल पेश किया गया है, वह सन्

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2016 का है, जो पट्टा जारी करने की तारीख 09.01.2008 से बहुत बाद का है, इससे अप्रार्थीगण को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

(c)इसके अतिरिक्त 1996 के नियम 148 की पालना नहीं की गई है। सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 20.11.2007 को सिर्फ सरपंच द्वारा चस्पा करने का पृष्ठांकन नोटिस की परत पर अंकित है, जबकि यह नोटिस परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने का आज्ञात्मक प्रावधान नियम 148(2) में है, जिसकी पालना नहीं की गई है। सरपंच स्वयं ने ही खानापूर्ति की है, जिसे मान्य नहीं किया जा सकता।

(d)विकास अधिकारी, लूणी ने पत्रांक 3297 दिनांक 27.11.2025 से इस न्यायालय को अवगत कराया है कि आक्षेपित दोनों पट्टों की प्रतियां एवं ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही का विवरण की प्रतियां, पंचायत समिति में प्राप्त नहीं हुई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रत्येक पट्टे की प्रति प्रतिमाह पंचायत समिति में आवश्यक रूप से जमा कराने का नियमों में स्पष्ट प्रावधान है, ताकि ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रहे। ग्राम पंचायत ने उक्त दोनों पट्टे जारी करने के लिए जो कार्यवाही विवरण रजिस्टर में लिखा है, उसमें सिर्फ मिसल संख्या ही लिखा है। आवेदकों के नामों का अंकन ही नहीं है।

(e)इस प्रकार ग्राम पंचायत ने उक्त दोनो पट्टा सं. 7 व 11 दिनांक 09.01.2008 को जारी करने में, नियमों में विहित प्रक्रिया का पालना नहीं किया है तथा 695 वर्गगज तथा 706.66 वर्गगज के बहुत बडे भुखण्डों का पट्टा नियम 157(1) में जारी किया है, इतने बडे क्षेत्रफल पर भवन निर्मित होने का कोई सबूत पत्रावलियों पर नहीं है। खाली भूखण्डों का नियम 157(1) के तहत नियमन करने का कोई कानूनी प्रावधान तत्समय प्रवर्तनशील नियमों में नहीं था तथा पूर्व में मिसल सं. 1/78–79 में जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 की 700 वर्गगज भूमि को भी इसमें शामिल कर लिया है, जो गलत है।

उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति अनुसार मिसल सं. 4/2007–08 व 8/2007–08 में जारी दोनों पट्टे दिनांक 09.01.2008 अपास्त योग्य है तथा निगरानी सं. 11/2025 स्वीकार योग्य है।

आदेश

14. परिणामस्वरूप–निगरानी सं. 11/2025 (2025/43) स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भाचरणा द्वारा मिसल सं. 4/2007–08 में जारी पट्टा सं. 07 दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

09.01.2008 बनाप 695 वर्गगज बहक श्री दलपत सिंह को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार मिसल सं. 8/2007–08 में जारी पट्टा सं. 11 दिनांक 09.01.2008 बनाप 706.66 वर्गगज बहक श्री मदन सिंह को निरस्त किया जाता है।

15. उक्त दोनों पट्टों को जारी करने हेतु ग्राम पंचायत भाचरणा द्वारा पारित संकल्प सं. 03 दिनांक 05.01.2008 को उक्त पट्टों की सीमा तक अपास्त किया जाता है।
16. निगरानी सं. 10/2025 (2025/42)–(मदन सिंह बनाम छगनलाल के कायम मुकामात) को स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा ग्राम भाचरणा की आबादी भूमि पर मिसल सं. 1/78–79 में जारी पट्टा सं. 23 दिनांक 28.01.1979 बनाप 700 वर्गगज बहक श्री छगनलाल पुत्र श्री लादुराम दरजी निवासी भाचरणा को खारिज किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत रोहिचा कला द्वारा उक्त निरस्त किये गये पट्टा को जारी करने हेतु पारित संकल्प सं. 2 दिनांक 20.11.1978 को भी अपास्त किया जाता है।
17. निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक निगरानी पत्रावली में शामिल की जावे।
18. निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत भाचरणा एवं ग्राम पंचायत रोहिचा कला से प्राप्त मूल पत्रावलियां पुनः लौटाई जावे तथा पत्रावलियों की फोटो प्रतियां संबंधित निगरानी पत्रावली में रिकॉर्ड हेतु शामिल की जावे।
19. प्रकरणों में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
20. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर